मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/पं.रा./एफ–1–4201/2021/ भोपाल, दिनांक 23.03.2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत –समस्त
मध्यप्रदेश।

विषयः– **कोविड–19 (कोरोना वायरस) के वर्तमान प्रकोप के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों से संबंधित दिशा–निर्देश।**

संदर्भः– **पंचायत राज संचालनालय का पत्र कमांक/4261/पं.रा./2020 भोपाल, दिनांक 09.04.2020**

–0–

आपको विदित है कि प्रदेश कोविड–19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण की महामारी से प्रदेश पुनः प्रभावित है। इस महामारी को रोकने के उपाय हमें एक बार पुनः सावधानी, सतर्कता व तत्परता से शासन के प्रत्येक स्तर पर करने की सख्त आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के स्तर पर भूमिका और दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. **शासन की गाईड–लाईन** – केन्द्र व राज्य सरकार की गाईड लाईन व दिशा–निर्देशों के अंतर्गत ही आवश्यक उपाय, कार्य व प्रयास किये जाना है।

2. **ग्राम पंचायत स्तर के प्रावधान/दायित्व :–**

2.1 म0प्र0 ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम 1999 के नियम 4(ब) (पांच) अनुसार सचिव का पदीय कर्तव्य है कि वह राज्य कार्य के अधीन मंजूर किये गये कार्य के संबंध में व्यय तथा अन्य विशिष्टियां की आधारभूत जानकारी रखेगा।

नियम 4(ब)(ठठ) के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उससे संबंधित किसी अन्य निकाय द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण में सहयोग देगा।

नियम 4(ब)(डड) ग्राम पंचायत से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखेगा,

नियम 4(ब)(ढढ) राहत कार्यो में ग्राम पंचायत तथा प्रशासन को सक्रिय सहयोग देना और प्राकृतिक आपदाओं विपत्ति के दौरान पीडित व्यक्तियों को राहत दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा,

3. जनपद पंचायत स्तर के प्रावधान/दायित्व :–

3.1 म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 50(1)(ख) अनुसार महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था करना जनपद पंचायत के कृत्य के रूप में प्रावधानित किया गया है।

4. जिला पंचायत स्तर के प्रावधान/दायित्व :–

4.1 म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 52(1)(तीन) के अनुसार जनपद पंचायतों के तथा ग्राम पंचायतों के कियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन, मॉनिटर करना और उनका मार्गदर्शन करना,

4.2 धारा 52(1)(छः) अनुसार केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अंतरित किये गये या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों, संकर्मो, स्कीमों तथा परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना,

4.3 धारा 52(1)(सात) अनुसार अंतरित किये गये कृत्यों, संकर्मो, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियत मापदण्डों के अनुसार जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को पुनः आवंटित करना,

4.4 धारा 52(1)(चौदह) अनुसार ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या सौपे जाएं।

5. त्रिस्तरीय पंचायतों की भागीदारी :–

5.1 कोविड–19 (कोरोना) के प्रकोप एवं संक्रमण से बचाव के प्रयासों हेतु पंचायतों के तीनों स्तरों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।

5.2 जागरूकता एवं जानकारी :–

- त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रत्येक सदस्य व पदाधिकारी को बीमारी से बचाव एवं रोकथाम की सही एवं पूर्ण जानकारी रखना होगी, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी दी जा सके।
- बीमारी की रोकथाम में मदद हेतु जारी किए गए स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विभिन्न लेल्पलाईन नम्बरों तथा जनपद एवं जिले के नोडल अधिकारियों के दूरभाष नम्बर रखना।
- ग्राम स्तर पर इस बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए उचित माध्यमों का प्रयोग कर लोगों को जागरूक करने एवं बीमारी से जुडी सही जानकारी पहुंचाना एवं पालन सुनिश्चित करना।
- शासन के आदेश–निर्देशों की जानकारी लोगों की बीच प्रसारित करना।
- अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी।

5.3 आवश्यक पाबंदी लगाना :–

- यह बीमारी ड्रापलेट से फैलती है, इसलिए किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक आयोजनों को जिनमें भीड जमा होती है, शासन के आदेशों के अनुसार नियंत्रित किया जावे तथा कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त समुचित उपाय किये जावें।
- गांवो में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। दुकानों पर (Social Distancing) का पालन किया जावे।
- गांवो में जगह–जगह चौपालों पर लोगों के जमा होने पर रोक लगाते हुए लोगों को अपने–अपने घरों में रहने के निर्देश दिये जावे।
- कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से गांव एवं घर से बाहर न निकले।

5.4 सामुदायिक सेवाओं के उपयोग हेतु की जाने वाली व्यवस्था :—

इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :—

- उचित मूल्य की दुकान, किराना दुकान, सब्जी की दुकान, हेडपम्प आदि का उपयोग करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था बनाना एवं इसकी निगरानी करना। दुकानों पर सेनिटाईजर अथवा साबुन व पानी की व्यवस्था करना।
- सामुदायिक सेवा स्थलों और लोगों की बीच दूरी बनाकर रखने के लिए एक–एक मीटर से अधिक की दूरी पर चूना या चॉक से गोल घेरे बनाने का प्रयोग भी किया जा सकता है।
- प्रत्येक व्यक्ति उपयोग से पहले हेडपम्प के हेंडिल आदि को साबुन पानी से धोए इस बात की निगरानी करना और इसके लिए हेडपम्प के पास साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5.5 अन्य राज्यों से लौटकर आये लोगों की व्यवस्था :—

इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :—

- अन्य राज्यों से गांव लौटने वाले सभी नागरिकों की पूर्ण जानकारी एवं रजिस्टर में रिकार्ड करना तथा इनकी मेडिकल जांच सुनिश्चित करना।
- यदि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की जांच नहीं हुई है तो उसकी सूचना तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/जनपद एवं जिला नोडल अधिकारियों को देना।
- बाहर से आए व्यक्ति को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कोरेन्टाईन के लिए स्कूल, ऑगनवाडी भवनों में व्यवस्था बनाना।
- यदि किसी व्यक्ति में सर्दी, सूखी खांसी, तेज बुखार के लक्षण दिखायी दे तो ऐसे व्यक्ति का इलाज सुनिश्चित करना और इन्हे भी 14 दिन तक अलग रहने की व्यवस्था बनाना।
- स्कूल, आंगनवाडी भवनों में अलग रखे गए लोगों के बिस्तर, बर्तन, खाना, तौलिया, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था करना।
- अलग रखे गये व्यक्तियों के लिए शौचालय, साबुन से हाथ धोने हेतु साबुन व पानी की व्यवस्था करना तथा परिसर की सफाई जरूरी है।

5.6 **आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाना :–**

इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

- इस दौरान गांव में आवश्यक वस्तुओं जैस राशन, दाल, तेल, मसाले, बीमार व्यक्तियों के लिए दवा आदि की उपलब्धता बनी रहे, इसकी लगातार निगरानी करना और व्यवस्था बनाना।
- गांव के भूमिहीन अति गरीब, मजदूरी पर आश्रित, महिला मुखिया, विकलांग परिवारों की सूची तैयार करना तथा उचित मूल्य की दुकान तथा सामुदायिक सहयोग से इन परिवारों के यह आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना।
- स्थानीय आवश्यकता व परिस्थिति तथा राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों–निर्देशों को दृष्टि में रखते हुए इसके अतिरिक्त भी कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता व सुविधा के साथ खेती किसानी के कार्य को भी ध्यान में रखते हुए कुछ जिम्मेदारियां पंचायत को निभानी पड सकती है, जिसके बारे में अपनी सीमाओं में वे स्वयं तय कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में "सामाजिक दूरी" के दिशा–निर्देशों का पालन जरूरी है।

6. **व्यक्तिगत स्वच्छता :–**

व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक व्यवहार है तथा इसके अनुपालन हेतु कुछ आवश्यक नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है जैसे :–

- जो कोई कर्मी भोजन बनाने, भण्डारण, वितरण की प्रकिया से जुडे हैं, उन्हे अपने हाथों को साबुन व पानी से कम से कम 20 (बीस) सेकण्ड धोना है।
- इन अवसरों पर आवश्यक रूप से हाथ धोना जरूरी है :–
- खाद्य सामग्री बाहर से लाने के पश्चात
- खाद्य सामग्री को छूने के पश्चात विशेषतः सब्जी आदि
- खाना बनाने के पहले व खाने के दौरान
- भोजन परोसने/वितरण करने से पहले
- भोजन पैक करने अथवा बची सामग्री को स्टोर में रखने के बाद

- सुनिश्चित करें कि भोजन पकाने का स्थान, भण्डारण का स्थान तथा बर्तन साफ हो।
- किचन तथा खाना बनाने के स्थान की सफाई प्रतिदिन हर बार भोजन बनाने के पहले की जाए।
- एक स्थान निर्धारित कर लें जहॉ ठोस अवशेष (Solid Waste) जैसे कि बची हुई/बेकार सब्जियों का निस्तारण पशुओं को खाने के लिए अथवा उचित अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सके, इसी प्रकार अवशेष पानी को भी सोक पिट में बहाया जा सके।
- यह भी सुनिश्चित करें कि साबुन से हाथ धोने तथा कीटाणुशोधन हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हों।
- भोजन तैयार करते समय अपने सिर को ढक कर रखें।

7. ग्राम कोष :–

7.1 म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 7 ञ (1) के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित करेगी जो निम्नलिखित चार भागों से मिलकर ग्राम कोष कहलाएगा :–

(एक) अन्न कोष, (दो) श्रम कोष, (तीन) वस्तु कोष, (चार) नगद कोष

उपरोक्त प्रावधान/नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही/सहायता की जावे।

राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष :–

राज्य स्तर पर पंचायत राज संचालनालय में कोविड–19 संबंधी नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जिसमें आपके द्वारा गुगलशीट पर दर्ज जानकारी के आधार पर अनुश्रवण एवं समीक्षा का कार्य किया जाता है। यह देखा गया है कि आपके स्तर से गुगलशीट पर कोविड संबंधी जानकारी दर्ज किया जाना गत दिनों प्रायः बंद किया जा चुका था। निर्देशित किया जाता है कि इस नियंत्रण कक्ष संबंधी गुगलशीट पर पूर्वानुसार पुनः प्रतिदिन जानकारी दर्ज करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का यथाशीघ्र पालन सुनिश्चित किया जाए।

(सचिन सिन्हा)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. कमांक/पं.रा./एफ–1–4202/2021/ भोपाल, दिनांक 23.03.2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
3. संभागायुक्त (समस्त) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर – (समस्त) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओर पालनार्थ।
6. समस्त शाखा प्रभारी, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 की ओर पालनार्थ।
7. उप संचालक (आई0टी0) पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 की ओर पालनार्थ।

प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग